संख्या: 1/2024/आई/546163/2024 /पैतीस-2-2024

प्रेषक,

जे0 एल0 यादव ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 23 अप्रैल, 2024**

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष संलग्न विवरण के अनुसार अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- ''3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-04-मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण हेतु रू0 2475.30 लाख (रू0 चौबीस करोड़ पचहत्तर लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती है :-

1. स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित प्राविधानों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. वस्तुओं के क्रय करते समय उत्तर प्रदेश स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।
6. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- ''3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-04-मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(जे0 एल0 यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 1/2024/आई/546163/2024 (1)/पैतीस-2-2024-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 1/2024/आई/546163/2024 (2)/पैतीस-2-2024, दिनांक 23 .04.2024 का संलग्नक

(घ) अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- ''3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-04-मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण

(धनराशि लाख रूपयें में)

क्र0 सं0	कोड नं0	व्यय की मदें	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	01	वेतन	1475.00
2	03	मंहगाई भत्ता	811.25
3	04	यात्रा व्यय	12.00
4	05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6.50
5	06	अन्य भत्ते	11.00
6	07	मानदेय	1.00
7	08	कार्यालय व्यय	6.50
8	09	विद्युत देय	10.00
9	11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	9.00
10	12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.50
11	15	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10.00
12	16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.50
13	44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रांसगिक व्यय	2.30
14	45	अवकाश यात्रा व्यय	2.00
15	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4.00
16	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	6.00
17	49	चिकित्सा व्यय	12.50
18	51	वर्दी व्यय	0.25
19	55	मकान किराया भत्ता	85.00
20	58	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	6.00
		योग	**2475.30**

(रू0 चौबीस करोड़ पचहत्तर लाख तीस हजार मात्र)

(जे0 एल0 यादव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।